

लॉटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

1— आवेदनकर्ताद्वारा लॉटरी में पंजीकरण :

सभी आवेदनकर्ता को प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा।

2— प्रमुख तिथियां:

प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के विभिन्न चरण जैसे आवेदन प्रपत्र क्रय करने की अवधि व समय तथा आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने का समय एवं दिनांक तथा आवेदन प्रपत्र समाप्ति का समय एवं दिनांक आवेदन प्रपत्र के चरणों के अनुसार बंद कर दिया जावेगा, ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कार्य एवं जिम्मेदारी के साथ लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित सभी प्रमुख तिथियों का पालन सख्ती से करें।

3— आवेदन प्रपत्र को क्रय करना:

आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र को क्रय करने हेतु निर्धारित सर्विस चार्ज ऑनलाईन जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र का शुल्क आवेदन में पृथक से उल्लेखित किया गया है। आवेदन प्रपत्र संबंधित आवेदनकर्ताओं को विज्ञापन ऑनलाईन जारी होने के समय एवं तारीख से प्रमुख तिथियों के अनुसार क्रय करने हेतु उपलब्ध होगी। आवेदन प्रपत्र के शुल्क का भुगतान ऑनलाईन UPI/Debit/Credit Card/Net Banking/RTGS/NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा।

4— आवेदन प्रपत्र तैयार एवं प्रस्तुत करना:

आवेदनकर्ता आमंत्रित आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपने आवेदन को ऑनलाईन, वेबसाईट पर अपलोड करेगा।

- (1) आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र भरने हेतु प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर sale of property tab पर जाना होगा। आवेदनकर्ता यदि प्रथम बार पंजीयन कर रहे हैं तो उनके मोबाइल नं. से पंजीयन करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा।
- (2) आवेदन प्रपत्र के पंजीयन के उपरांत लाग-ईन करना होगा।
- (3) आवेदनकर्ता को लाग-ईन के उपरांत प्राधिकारी की योजनावार विज्ञापन दिखाई देगा।
- (4) आवेदनकर्ता जिस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उस योजना का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- (5) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने के पश्चात Apply बटन पर क्लीक करने पर आवेदनकर्ता को लाटरी हेतु आवेदन प्रपत्र Display होगा।
- (6) आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात आवेदनकर्ता को हस्ताक्षर एवं फोटो (jpg Format में) अपलोड करना होगा।
- (7) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करने के पश्चात save का बटन दबाने पर आवेदन फार्म डाउनलोड हेतु प्राप्त होगा। जिसे डाउनलोड करने पर आवेदन प्रपत्र पर जहाँ-जहाँ हस्ताक्षर करने का लिखा हो वहा पर हस्ताक्षर एवं फोटो चिपकाना होगा।

- (8) उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रपत्र पी.डी.एफ फारमेट में स्कैन करके आवेदन प्रपत्र अपलोड करना होगा। साथ ही बिन्दु क्र. 2 आवेदन दस्तावेजके अनुसार अपलोड करना होगें।
- (9) आवेदन प्रपत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आवेदनकर्ता को **save and pay** के बटन को क्लिक करना होगा। जिसके द्वारा आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं पंजीयन की राशि हेतु बैंक की वेबसाईट प्रदर्शित होगी। जहा पर आवेदनकर्ता विभिन्न भुगतानविधियो द्वारा आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान कर सकते है।
- (10) यदि आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं पंजीयनराशि हेतु NEFT/RTGS का चयन करते है तो एक चालान जनरेट होगा जिसे प्रिन्ट कर आवेदनकर्ता किसी भी बैंक में जाकरयह चालान दिखाकर भुगतान कर सकता है।
- (11) भुगतान पूर्ण हो जाने के पश्चात **Back** बटन प्रेस करने पर आवेदनकर्ता प्राधिकरण की वेबसाईट पर पहुँच जाएगा तत्पश्चात आवेदनकर्ता की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होगी।
-

आवेदनकर्ता के लिये निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

1— लाटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

लाटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया की जानकारी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न है (अनुलग्नक—ए)।

2— आवेदन से संबंधित समस्त व्यय

आवेदनतैयार करने एवं प्रस्तुत करने में जो भी व्यय होगा वह आवेदनकर्ता को स्वयं वहन करना होगा एवं उक्त व्यय के संबंध में आवेदनकर्ता को कोई भी कानूनी वाद/दावा प्राधिकारी के विरुद्धप्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

3— संपत्ति का भौतिक सत्यापन

आवेदन प्रस्तुतकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन स्वीकृति पश्चात् कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(ब) आवेदन प्रपत्र

1— आवेदन प्रपत्र की विषय सूची

आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेजसमिलित है :

1) आवेदन आमंत्रण विज्ञापन/विज्ञप्ति

2) आवेदनकर्ता के लिये निर्देश

3) लाटरी में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

4) अन्य कोई दस्तावेज, यदि उल्लेखित हो तो

2— आवेदन विज्ञापन/दस्तावेजों का संशोधन

1) आवेदन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व प्राधिकारी द्वारा आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में यदि कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो वह सुधार/संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा केवल www.idaindore.org पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

2) सभी सुधार/संशोधन आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे।

(स) आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1— आवेदनकर्ता आमंत्रित आवेदन विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनेआवेदन को ऑनलाईन www.idaindore.org वेबसाईट पर अपलोड करें।

2— आवेदन दस्तावेज

1) आरक्षित श्रेणी का स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

2) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो उसे आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का स्केन्ड नोटरीकृत शपथ—पत्र

3) आवेदनकर्ता यदि कंपनी/फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज

अ) इकाई द्वारा आवेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृतव्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी स्केन्डस्वप्रमाणित संकल्प।

- ब) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि) की स्कैन्डस्वप्रमाणित प्रति।
- 4) अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे—आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की स्कैन्ड स्वप्रमाणित प्रति

3—भाषा

आवेदन प्रपत्र एवं अन्य पत्राचार तथा आवेदन दस्तावेज की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी जो प्राधिकारी एवं आवेदनकर्ता पर समान रूप से लागू होगी। कोई दस्तावेज जो अन्य भाषा में हो तो उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करना होगा।

4—लाटरी द्वारा संपत्ति का चयन

आवेदनकर्ता को संपत्ति क्रमांक एवं संपत्ति का चयन केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

5—आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि)

- 1) आवेदनकर्ता को विज्ञापन/आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) ऑनलाईन जमा करना होगी।
- 2) आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि का भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 3) आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि के भुगतान किये बिना प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र अस्वीकार होगें।
- 4) अन्य आवेदनकर्ता, जिनका आवेदन स्वीकार न किये गये हो लाटरी खोलने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) की राशि लौटा दी जावेगी।

(द) आवेदन प्रपत्रों को खोलना

आवेदन प्रपत्र को खोलने की प्रक्रिया

- 1) आवेदन खोलने के प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक व समय अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- 2) आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, आवेदन दस्तावेज शुल्क तथा आवेदन प्रतिभूति (पंजीयन राशि) के बिना प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार होगें।
- 3) दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल पात्र पाये गये आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं के आवेदन की लाटरी खोली जावेगी।
- 4) ऐसे आवेदनकर्ता जो आवेदन जो लाटरी को खोलने के समय उपस्थित रहने को इच्छुक हो, वे लॉटरी खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- 5) प्रस्तुत किये गये आवेदन का परिणाम लाटरी खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व घोषित किया जाएगा एवं इसे प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 6) प्राधिकरण को किसी भी आवेदन/समस्त आवेदनकर्ताओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।